न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 6/2020

उनवान

गोपाल पुत्र छोटू जाति जाट नि0 ग्राम कानुपरा, नसीराबाद
–– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री खुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार
2. ओमप्रकाश पुत्र छोटू जाति जाट नि0 ग्राम कानुपरा, नसीराबाद
–– परफोर्मा अप्रार्थी :–

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 17.9.20

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम कानुपरा तहसील नसीराबाद में आस्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 3363 रकबा 0.43 हेक्टेयर है। प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी में आने जाने का रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नही है। प्रार्थी अपने खातेदार खेत 3363 रकबा 0.43 में पर आने–जाने के लिये सिवायचक खसरा नम्बर 3377 का उपयोग करता है। प्रार्थी के पास अपनी जोत तक पहुचने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को सिवायचक खसरा नम्बर 3377 में पूरब से पश्चिम की तरफ 15 फुट चौडा रास्ता दिया जावे। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में भी अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी का सहखातेदार है उसके विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा है साथ ही प्रकरण में आदेश से उसके हित भी प्रभावित नही होते है। अतः उसकी तलबी की आवश्यकता नही है। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा ख0न0 3377 में से स्वयं की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु रास्ता चाहा है मौका जांच अनुसार प्रार्थी के खेत पर आवागमन हेतु वर्तमान में ग्राम की मुख्य आबादी से प्रार्थी की आराजी तक 7 फिट की चौडी गली जाती है। किन्तु उक्त गली से प्रार्थी कृषि यंत्र यथा ट्रेक्टर ट्रोली, थ्रेसर नही ले जा सकता है। प्रस्तावित मार्ग का नजरी नक्शा सलंग्न है। जिसके अनुसार गै0मु0 रास्ता 3374 से सटी हुई सिवायचक ख0न0 3377 का उतरी भाग मुख्य आबादी से सटा हुआ है। जिस पर मकान बने हुये है। दक्षिण भाग से प्रस्तावित रास्ता दीर्घ होने के कारण नजरी नक्शा अनुसार रास्ता ... किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.10.14 15:39:08 IST
Reason: SelfAttested

नसीराबाद (अजमेर)